

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन बाबत
डिक्री

दिनांक :- 29/01/2026

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की ओर से श्री नवीन जैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

- 1. वादी आदराम को प्राप्त भूमि :-**तहसील पीलीबंगा के चक 4 एन. एस. डब्ल्यू ए के खाता स. 19/17 के प.न.50/340 के किला न 1 ता 10 मे 2.480 हैक नहरी खातेदारी भूमि है। तहसील पीलीबंगा के चक 2 एन. एस. डब्ल्यू के खाता 15/13 के प. न. 51/341 के किला न 21/0.101 हैक् अं. कमाण्ड खातेदारी भूमि घरू बंटवारा मे प्राप्त हुई है वादी संख्या 1 का नाम चक 26 पीवीएन व 17 एसटीबी व 13 एसटीबी से कलमजन किया जावे।
- 2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को प्राप्त भूमि:-**तहसील पीलीबंगा के चक 26 पी. बी.एन के प.न. 32/330 के किला न 5,6, 15, 16, 25 में 0.825 व प.न. 31/330 के किला न 1 ता 25 मे 6.325 हैक है। तहसील सूरतगढ के चक 13 एस.टी. बी. ए के खाता स. 13/13 के प.न. 35/324 के किला न 3/2/0.038 हैक् नहरी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। तहसील सूरतगढ के चक 13 एस.टी.बी ए के खाता स. 45 के प.न. 35/324 के किला 4 ता 25 मे 5.756 हैक् व प.न. 35/325 के किला न 1/0 253 हैक नहरी किला न.3/1/0.190, 4 ता 25 कुल 6.009 है. नहरी मय रास्ता व तहसील सूरतगढ के चक 17 एसटीबी के खाता स. 110 /94 के प.न. 38/329 के किला न 3,4,7,8, मे 1.012 हैक, 13/0.159,14/158 कुल 1.329 है. अं.कमाण्ड खातेदारी भूमि इस प्रकार तीनों चकों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 3/5 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/5 हिस्सा बहिब प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का 1/5 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादी आदराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा